न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : 435/2015
GCMS No. : 2015/00214

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. गैनसिंह पुत्र धनासिंह 2. मगसिंह पुत्र धनासिंह जातियान– रावत, निवासीगण– चैनपुरा, पोस्त– सेवरिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. भंवरू पुत्र धना 2. केशा पुत्र धना 3. पाबू पुत्र धना जातियान– रावत, निवासीगण– चैनपुरा, पोस्त– सेवरिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0। 4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार जैतारण, जैतारण राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.28/09/2015

उपस्थित:–

1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 19/05/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 620/1 रकबा 10–04 बीघा, 623 रकबा 05–15 बीघा की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है, जिसे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबव्दी की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 620/1 एकबा 10 04 बीघा त्र, 623 रकबा 05–15 बीघा की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सह खातेदार के रूप में उक्त कृषि भूमि में काबिज खातेदार काश्तकार है और उक्त कृषि भूमि को निर्विवाद एवं बरोकटोक अपने अपने हक एवं हिस्सानुसार शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं मुतालिक काश्त कार्य करते चले आ रहे है। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 620/1 रकबा 10–04 बीघा, 623 रकबा 05–15 बीघा की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलती व मानवीय भूलवश व वादी अनपढ और ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने एवं तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा सही जांच [illegible] करने के कारण वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 का नाम [illegible]नसिंह के स्थान पर मेन्दु व वादी संख्या 2 का नाम मगसिंह के स्थान पर [illegible] कर दिया गया, जो गलत है तथा एक सैव्ना एन्ट्री है, जबकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम वादी संख्या 1 का नाम गेनसिंह व वादी संख्या 2 मगसिंह है और वादीगण अपने उक्त सभी खसरान के राजस्व रेकर्ड में अपने सही नाम दर्ज करवाने और अपने राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

अपने नाम की दर्ज गलत प्रविष्टि को हटवाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त करवाने के वादीगण विधिक रूप से अधिकारी है तथा वादी संख्या 1 का नाम मेनसिंह व वादी संख्या 2 का नाम मनसिंह सही व वास्तविक नाम होने के समर्थन में वादीगण के अन्य दस्तावेजात पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन की फोटो प्रतियां वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। वादीगण को अपने गांव में एवं जान पहचान एवं रिश्तेदार में भी मेनसिंह व मनसिंह के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा राजस्व रेकर्ड के अलावा अन्य सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी रिकार्ड में भी वादीगण का नाम मेनसिंह व मनसिंह ही दर्ज है। इस कारण भी वादीगण के राजस्व रेकर्ड को दुरस्त किया जाना न्यायोचित एवं न्यायहित में है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80 (02) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 02.09.2015 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ओलावृष्टि/अतिवृष्टि फसल मुआवजा की राशि प्राप्त करने हेतु सहकारी समिति बैंक शाखा रास में उपस्थित हुआ तब बैंक मैनेजर द्वारा वादीगण को उक्त फसल मुआवजा देने से इंकार करते हुए कहा कि आपके राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 का नाम मेन्दु व वादी संख्या 2 का नाम धीतर दर्ज है जबकि आपने अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, आई.डी. के रूप में पेश किया है जिसमें वादी संख्या 1 का नाम मेनसिंह व वादी संख्या 2 का नाम मनसिंह दर्ज है। इस कारण यह मुआवजा राशि आपको नहीं दी जा सकती पहले आप अपने राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करावे इसके पश्चात ही आपको यह फसल मुआवजा राशि दी जा सकती है । वादीगण को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की गलत प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादीगण ने उसी रोज हल्का पटवारी से सम्पर्क करके अपने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम को दुरुस्त करवाने का वाद पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समनात वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक बावजूद समन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी ने वादी मेनसिंह PW-1, वादी मनसिंह पुत्र धनासिंह PW-2, गवाह कामदराम पुत्र भागूराम जाति- मेघवाल PW-3, गवाह प्रभुसिंह पुत्र भंवरसिंह PW-4, वादी के भाई केशा पुत्र धना जाति- रावत PW-5, वादी के भाई भंवरू पुत्र धनासिंह PW-6, वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य [illegible] दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये जो शामिल मिसल किये गए।

हमने पत्रावली मय [illegible] से अध्ययन किया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया। पत्राव[illegible] का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला पाली

1. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 620/1 रकबा 10-04 बीघा, 623 रकबा 05-15 बीघा की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण बतौर खातेदार दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के धनसिंह की मृत्यु उपरांत तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा फौतदेगी नामान्तरण स्वीकृत करते समय वादी संख्या एक का नाम गेनसिंह के स्थान पर मेन्दू एवं वादी संख्या दो का नाम मगसिंह के स्थान पर छीतर दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटि राजस्व भू अभिलेख में वर्तमान में भी जारी है, वादी संख्या एक का सही एवं वास्तविक नाम गेनसिंह पुत्र धनासिंह जाति- रावत तथा वादी संख्या दो का सही एवं वास्तविक नाम मेन्दूसिंह पुत्र धनासिंह जाति- रावत, है। जिसे वादी शुद्ध करवानें का अधिकारी है।

2. सरपंच ग्राम पंचायत सेवरिया तहसील जैतारण ने मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि मेन्दू पुत्र धनासिंह एवं छीतरसिंह पुत्र धनासिंह नाम से कोई व्यक्ति ग्राम सेवरिया में निवास नहीं करते है तथा गेनसिंह व मगसिंह धनासिंह के विधिक वारिसान है तथा ग्राम सेवरिया तहसील जैतारण में निवास करते है।

3. प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जो कि वादी के भाई, ने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र पेश वादपत्र के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा दावे में वर्णित पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा धनासिंह के फौत के पश्चात नामान्तरण स्वीकृत करते समय उसमें वादी गेनसिंह का घरेलू बोलचाल का नाम मेन्दू तथा वादी संख्या 02 मगसिंह का घरेलू बोलचाल का नाम छीतर दर्ज कर दिया जबकि सभी अर्द्धसरकारी दस्तावेजातों में वादी संख्या 01 का सही व वास्तविक नाम गेनसिंह पुत्र धनासिंह एवं वादी संख्या 02 का सही व वास्तविक नाम मगसिंह पुत्र धनासिंह है, जो सही व सत्य है। इस नाम से वादीगण के पक्ष में डिक्री व नाम शुद्धिकरण कर दिया जावें तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई आपत्ति ऐताराज नहीं है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी प्रदर्श-1 सम्वत् 2069 से 2072 में भंवरू, केशा, मेन्दू, छीतर, पाबू पि0 धना कौम रावत सा. चैनपुरा खातेदार अंकित है। प्रदर्श-2ए वादी गेनसिंह पुत्र धनसिंह का परिवार राशनकार्ड, प्रदर्श-3ए वादी गेनसिंह का आधार कार्ड, प्रदर्श-4ए वादी गेनसिंह का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श-5ए वादी मगसिंह का आधार कार्ड, प्रदर्श-6ए वादी मगसिंह का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, इत्यादि में वादी संख्या 01 का नाम गेनसिंह पुत्र धनसिंह एवं वादी संख्या 02 का नाम मगसिंह पुत्र धनसिंह अंकित है। वादी गेनसिंह पुत्र धनासिंह एवं मगसिंह पुत्र [illegible] ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र क्रमशः PW-1 व PW-2 प्रस्तुत किया, [illegible] वादीगण द्वारा शपथपत्र पर वादपत्र में अंकित कथनों, तथ्यों एवं वांच्छित अनुतोष का समर्थन करते हुये यह बयान किया कि वादी का वादग्रस्त आराजी पर निर्बाध कब्जा काश्त है, तथा वादी के पिता धनासिंह के फौत होने पर फौतेवादी नामान्तरण में वादीगण के लाड प्यार के एवं घर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी संख्या 01 का नाम मेन्दू पुत्र नाथसिंह एवं वादी संख्या 02 का नाम छीतर पुत्र धनासिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी संख्या 01 का सही एवं वास्तविक नाम गेनसिंह पुत्र धनासिंह एवं वादी संख्या 02 का सही एवं वास्तविक नाम मगसिंह पुत्र धनासिंह है। भू अभिलेख में दर्ज मेन्दूसिंह पुत्र धनासिंह एवं छीतरसिंह पुत्र धनासिंह एक त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि है, जिसके स्थान पर क्रमशः गेनसिंह पुत्र धनासिंह व मगसिंह पुत्र धनासिंह किया जावे।

4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण जो कि वादी के भाई एवं माता है, के वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज मेन्दुसिंह पुत्र धनासिंह एवं छीतरसिंह पुत्र धनासिंह एक त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि है तथा वादीगण खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम है क्रमशः गेनसिंह पुत्र धनासिंह एवं मगसिंह पुत्र धनासिंह है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 620/1 रकबा 10-04 बीघा, 623 रकबा 05-15 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी संख्या 01 एवं वादी संख्या 02 के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि क्रमशः ***"मेन्दूसिंह" एवं "छीतर"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः ***"गेनसिंह"*** व ***"मगसिंह"*** दर्ज करते हुये वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 19/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
ईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::–

ोनसिंह पुत्र धनासिंह
गगसिंह पुत्र धनासिंह
ातियान– रावत, निवासीगण– चैनपुरा,
ोस्त– सेवरिया, तहसील– जैतारण,
जेला– पाली, राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. भंवरू पुत्र धना
2. केशा पुत्र धना
3. पाबू पुत्र धना
   जातियान– रावत, निवासीगण– चैनपुरा,
   पोस्त– सेवरिया, तहसील– जैतारण,
   जिला– पाली, राज0।
4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार
   जैतारण, जैतारण राजस्थान सरकार।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 435/2015

ाजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती
न्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
धिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व ाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 620/1 रकबा 10–04 बीघा, 623 रकबा 05–15 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी संख्या 01 एवं वादी संख्या 02 के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि क्रमशः ***''मेन्दूसिंह'' एवं ''छीतर''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः ***''गेनसिंह''*** व ***''मगसिंह''*** दर्ज करते हुये वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .. ..–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 19/05/2022 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, जिला पाली

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		/	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		/	मुत्फरिक		
मिजानः-	06	-00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested